

# सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

## PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 21.01.2026

### आजमगढ़

#### 01.थाना: सरायमीर

#### संगठित आपराधिक गिरोह पर बड़ी कार्रवाई: गैंगस्टर एक्ट के तहत सरगना गिरफ्तार, विस्तृत आपराधिक इतिहास उजागर

• जनपद आजमगढ़ के थाना सरायमीर, निजामाबाद, फूलपुर, पवई एवं आसपास के थाना क्षेत्रों में नकबजनी, चोरी, पशु चोरी, वाहन चोरी एवं शासकीय सम्पत्ति की चोरी जैसी संगीन घटनाओं में संलिप्त एक संगठित आपराधिक गिरोह के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही की गई है।

• गिरोह की गतिविधियों से क्षेत्र में निरन्तर भय व दहशत का माहौल व्याप्त था तथा आमजन मुकदमा दर्ज कराने एवं गवाही देने से कतराता था। स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए गिरोह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

#### **गिरोह का विवरण**

• गैंग लीडर अनवर पुत्र असलम निवासी – ग्राम डण्डवा मुस्तफाबाद (खपड़ागांव), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ पुलिस अभिलेखों एवं विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि गैंग लीडर अनवर पुत्र असलम अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध ढंग से विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी व नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देता था।

#### **गिरोह द्वारा कारित प्रमुख आपराधिक घटनाएं**

• दिनांक 10.07.2024

0थाना सरायमीर क्षेत्र में रात्रि के समय ताला तोड़कर बकरी चोरी की घटना।

• दिनांक 02/03.08.2024

0थाना सरायमीर क्षेत्र में एक मकान से हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, कूलर, टिल्लू पम्प आदि की चोरी।

• दिनांक 26.05.2024

0थाना फूलपुर क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से 31 बोरी गेहूं – चावल चोरी कर CCTV कैमरा क्षतिग्रस्त किया गया।

• दिनांक 28.02.2024 एवं 30.04.2024

0थाना पवई क्षेत्र में ट्यूबवेल से विद्युत मोटर व अन्य कीमती सामान चोरी।

गिरफ्तारी व गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही

• दिनांक 04.08.2024 को थाना सरायमीर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर अनवर पुत्र असलम को गिरफ्तार किया गया।

• उपरोक्त गिरोह की संगठित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में दिनांक 09.01.2026 को जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं लिंक नोडल अधिकारी (गैंग चार्ट) के साथ संयुक्त बैठक में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही को अनुमोदन प्रदान किया गया।

• इसके क्रम में थाना सरायमीर पर—

मु0अ0सं0 17/26 धारा 2ख(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### गैंग लीडर का विस्तृत आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अनवर पुत्र असलम के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों में चोरी, नक्बजनी, शासकीय संपत्ति चोरी एवं आयुध अधिनियम से संबंधित कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत है—

मु0अ0सं0 382/24, धारा 3(5), 305, 317(2), 331(4) बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 421/24, धारा 3(5), 305, 317(2), 331(4) बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 281/24, धारा 380, 411, 427 भादवि थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 159/24, धारा 34, 380, 411, 457 भादवि थाना पर्वई, जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 279/24, धारा 188, 336, 352, 427 भादवि व 127 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 284/24, धारा 379/411/34 बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 422/24, धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

### निष्कर्ष

• उक्त कार्रवाई से जनपद में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।

• पुलिस द्वारा स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अपराधियों एवं संगठित गिरोहों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही की जाती रहेगी।

• आमजन की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

## 02.थाना – मुबारकपुर

### पशुओं की चोरी कर उनका बध करके उसके मांस को विक्रय करने वाला वाँछित अभियुक्त कूटरचित दस्तावेज के साथ

1. पूर्व की घटना:- दिनांक 17.12.2025 को त0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान - दो अदद चोरी का भैंस, 02 अदद चाकू, 01 अदद चापड़, 01 अदद लकड़ी का ठीहा, 01 अदद स्कार्पियो, 01 अदद मो0सा0 बरामदगी व गिरफ्तारी दो नफर अभियुक्त के आधार पर मु0अ0सं0 535/25 धारा 317(2), 317(4) BNS व 4/25

आम्र्स एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री कमला सिंह यादव द्वारा की जा रही है।

2. **गिरफ्तारी का विवरण:-** आज दिनांक 20.01.2026 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आमिर खान S/O मेहराब खान R/O सारायभाऊ थाना नियामबाद आजमगढ़ को समय करीब 12.45 बजे पता इस्लामपुरा बारह बीघा मैदान (शाहगढ़ रोड) से पुलिस हिरासत में लिया गया। पकड़े गये उपरोक्त व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद आमिर पुत्र इस्लाम ग्राम सुरेला पो0 उमरी जनपद जैनपुर बताया। नियमानुसार उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से एक अदद आधार कार्ड बरामद हुआ जिस पर उसका नाम पता मो0 आमिर पुत्र इस्लाम ग्राम सुरेला पो0 उमरी जि0 जैनपुर बरामद हुआ तथा एक अदद पैनकार्ड बरामद हुआ जिस पर मो0 आमिर S/O इस्लाम अंकित है। एक अदद डी0एल बरामद हुआ जिस पर मो0 आमिर पुत्र इस्लाम पता जयहिन्द नगर झोपडपट्टी नियर सन्तोषी माता मन्दिर शिवाजी नगर मानकुर्द मुम्बई महाराष्ट्र 400043 अंकित है। तथा एक पर्स व एक अदद पोको कं0 का एनड्रायड मोबाइल बरामद हुआ। अभि0 से कडाई से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा वास्तविक नाम आमिर खान S/O मेहराब खान ग्राम सरायभाऊ थाना नियामबाद जिला आजमगढ़ होना बताया। यह भी बताया कि मैंने पुलिस से बचने के लिए पिता का नाम बदल कर फर्जी तौर पर अपने ससुर का नाम लिखकर उन्ही के पते पर अपनी पहचान छुपाकर फर्जी पता लिखवाकर आधार कार्ड, पैनकार्ड तथा डी0एल0 बनवाया है। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 318(2),338,336(3),340(2) BNS का दण्डनीय अपराध है। अतः अभियुक्त के उसके जुर्म से अवगत कराकर मु0अ0स0 535/25 धारा 317(2),317(4),318(2),338, 336(3),340(2) BNS व 11 पशु क्रूरता अधि0 में समय 12.45 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। फर्जी आधार कार्ड, डी0एल व पैन कार्ड के आधार पर मुकदमा अ0सं0 535/25 धारा 317(2),317(4), BNS व 11 पशु क्रूरता अधि0 में धारा 318(2),338,336(3),340(2) BNS की बढोतरी की गयी। अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

3. **बरामदगी का विवरण:-** एक अदद आधार कार्ड, एक अदद डीएल, एक अदद पैन कार्ड
4. **नाम पता अभियुक्त:-** आमिर खान S/O मेहराब खान ग्राम सरायभाऊ थाना नियामबाद जि0 आजमगढ़
5. **पंजीकृत अभियोग:-** मु0अ0सं0 535/25 धारा 317(2),317(4), BNS व 11 पशु क्रूरता अधि0 में धारा 318(2),338, 336(3),340(2) BNS थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
6. **आपराधिक इतिहास:-**

अभियुक्त आमिर खान S/O मेहराब खान ग्राम सरायभाऊ थाना नियामबाद जिला आजमगढ़

- मु0अ0सं0 535/25 धारा 317(2), 317(4), BNS व 11 पशु क्रूरता अधि0 में धारा 318(2),338, 336(3),340(2) BNS थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 264/2015 धारा 323,366,376डी भादवि व 3(1)(12) SC/ST ACT थाना जीयनपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 89/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

- मु0अ0सं0 123/2022 धारा 379,411,413,414 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना निजामाबाद, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 133/2022 धारा 379,411,413,414 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना निजामाबाद, आजमगढ़

#### 7. गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

### 03. थाना- निजामाबाद

कई चोरियों में संलिप्त शातिर अभियुक्त चोरी के पम्प मोटर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

1. दिनांक 26.11.2025 को मुकदमा वादी राजेंद्र पुत्र स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद पांडेय ग्राम बिशुनपुर थाना निजामाबाद ने प्रार्थना पत्र दिया कि 25.11.2025 की रात्रि मे चोरों ने टूबेल से 5 हार्स पावर का मोटर ताला तोड़कर चुरा ले गये। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 393/25 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 13.01.26 को मुकदमा वादी संजीव यादव पुत्र देवनारायण यादव ग्राम कारवभार थाना बिलरियांगंज जनपद आजमगढ़ ने प्रार्थना पत्र दिया कि वो निजामाबाद एरिया मे इण्डस कम्पनी मे टेक्निशिया पद पर कार्यरत हैं 12/01/26 की सुबह गौसपुर साईट पर पहुचे तो देखा सेल्टर मे लगा ताला तोड़कर ऐमरान कम्पनी का दो सेल 200 AH अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 14/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण –** आज दिनांक 20.01.26 को उ0नि0 लाला राम मय हमराहगण द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित मो0 सेराज पुत्र रूस्तम शाह निवासी कुजियारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को चोरी के 05 हार्स पावर की मोटर के साथ गौशाला दत्तात्रेय के पास रोड के बगल के झाड़ी के पास से समय करीब 10.20 बजे पर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय भेज गया।

**पंजीकृत अभियोग -** 1. मु0अ0स0 393/25 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस 2. मु0अ0स0 14/26 धारा 303(2)बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** मो0 सेराज पुत्र रूस्तम शाह निवासी कुजियारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।  
**बरामदगी-** 05 हार्स पावर की मोटर।

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0स0 206/21 धारा 379, 411 IPC थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0स0 02/23 धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471IPC थाना निजामाबाद, आजमगढ़
3. मु0अ0स0 03/23 धारा 3/25 आम्स ऐक्ट थाना निजामाबाद, आजमगढ़
4. मु0अ0स0 517/24 3 धारा 60 Ex Act थाना निजामाबाद, आजमगढ़
5. मु0अ0स0 402/25 धारा 4/25 आम्स ऐक्ट थाना निजामाबाद, आजमगढ़

6. धारा 227/22 धारा 411 IPC थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0स0 393/25 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़
8. मु0अ0स0 14/26 धारा 303(2)बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 लाला राम 2. हे0का0 अखिलेश यादव 3. का0 अजय कुमार जायसवाल 4. का0 अनिल कुमार गुप्ता थाना निजामाबाद आजमगढ़

### **जनपद-मऊ**

**01.आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹1000 अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय महिला . कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 20-01-2026 को मु0अ0सं0 967/2005 धारा 354 भादवि थाना दक्षिण टोला में दोषसिद्ध अभियुक्त लालमोहन पुत्र जगधारी राजभर निवासी सुल्तानपुर बनोरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा व ₹1000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा ।

### **जनपद -बलिया**

**01.थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस व बिहार पुलिस द्वारा घाघरा नदी के पार थानाक्षेत्र रेवती अन्तर्गत चौकी गोपालनगर डुमाईगढ़ और बिहार बार्डर पर दबिश देकर 12,000 लीटर लहन तथा 25 भट्टियों को किया गया नष्ट ।**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने/शराब निष्कर्ण एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बैरिया महोदय श्री मो0 फहीम कुरैशी के कुशल नेतृत्व में थाना रेवती पुलिस टीम व बिहार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 20.01.2026 को थानाध्यक्ष श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रंजीत कुमार ( चौकी प्रभारी गोपालनगर) ,हे0का0 अनिल कुमार सिंह ,हे0का0 राकेश कुमार ,का0 नवीन कुमार ,का0 प्रत्युष कृष्ण ,का0 अंकित सिंह का0 अवनीश शर्मा द्वारा थानाक्षेत्र रेवती अन्तर्गत चौकी गोपालनगर डुमाईगढ़ और बिहार बार्डर पर दबिश देकर 12,000 लीटर (बारह हजार ली0) लहन तथा 25 भट्टियों को नष्ट किया गया ।

## 02. थाना सहतवार जनपद बलिया पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी बलिया श्री दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बांसडीह श्री जयशंकर मिश्र व थानाध्यक्ष सहतवार श्री अनिल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सहतवार पुलिस को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.12.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसके चचेरे भाई को प्रतिवादी अंकित कुंवर उर्फ गोलू कुंवर पुत्र स्व0 उमेश कुंवर निवासी ताहिरपुर हाता थाना सहतवार जनपद बलिया आदि द्वारा जान से मरने की नियति से लोहे की राड से मारा पीटा गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगा दी गयी थी ।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.01.2026 को थाना सहतवार पुलिस टीम के उ0नि0 नितेश कुमार गुप्ता मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि मुख्यिर की सूचना पर मु0अ0सं0 273/2025 धारा 109,352,351(3) बीएनएस थाना सहतावर जनपद बलिया से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित कुंवर उर्फ गोलू कुंवर पुत्र स्व0 उमेश कुंवर निवासी ताहिरपुर हाता थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र 23 वर्ष को समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय बलिया भेजा गया ।

### **सम्बन्धित अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 273/2025 धारा 109,352,351(3) बीएनएस थाना सहतवार जनपद बलिया  
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अंकित कुंवर उर्फ गोलू कुंवर पुत्र स्व0 उमेश कुंवर साकिन ताहिरपुर हाता थाना सहतवार जनपद बलिया उम्र 23 वर्ष

## 03.थाना पकड़ी जनपद बलिया पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी बलिया श्री दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर श्री रजनीश कुमार व थानाध्यक्ष पकड़ी श्री लालमणि सरोज के कुशल नेतृत्व में थाना पकड़ी पुलिस को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उसकी नाबालिक पुत्री को प्रतिवादी मनु कुमार उर्फ मनु पुत्र अमिता राम निवासी पिपरापट्टी बहोरापुर गैरिया थाना पकड़ी जनपद बलिया द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पीड़िता/अपहृता की तलाश व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगा दी गयी थी । इसी क्रम में-

आज दिनांक 20.01.2026 को उम्र 0 मुकेश यादव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, पेण्डिंग विवेचना में मामूर थे कि मुख्य खास के सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुमिता राम निवासी पिपरापट्टी बहोरापुर गैरिया थाना पकड़ी जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष को रतसी मेहमापुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता/अपहृता को पूर्व में सकुशल बरामद कर उसके परिजन को नियमानुसार सुपुर्द किया गया। पीड़िता/अपहृता के मेडिकल/बयान के आधार पर धारा 65(1)BNS व 5J(2), 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

### **सम्बन्धित अभियोग**

01. मुमिता राम निवासी पिपरापट्टी बहोरापुर गैरिया थाना पकड़ी जनपद बलिया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण**

01. मनु कुमार उर्फ मनु पुत्र अमिता राम निवासी पिपरापट्टी बहोरापुर गैरिया थाना पकड़ी जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष